

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
विज्ञापन क्रमांक 4397/सम्पदा/2024

भोपाल, दिनांक 20/9/24

द्वितीय-बार

भूखण्ड हेतु ऑफर आमंत्रण

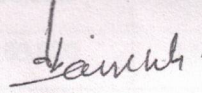
प्राधिकरण की सरदार वल्लभ भाई पटेल मिसरोद फेस-2, योजना स्थित भूखण्डों का विक्रय निम्न तालिकों में वर्णित होकर ऑनलाइन वेबसाइट <https://Vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से ऑफर दिनांक 24-9-24 से दिनांक 14-10-24 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दिनांक 15-10-24 को खोले जायेंगे।

क्र०	भूखण्ड/ इकाई का विवरण	भूखण्डों/ इकाइयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षण की श्रेणी, यदि आरक्षित हो	भूखण्ड/ इकाई की आरक्षित कीमत प्रति भूखण्ड	पंजीयन राशि (धरोहर राशि)
1	2	3	4	5	6	7
1	11/ई	आवासीय	135	सामान्य	40,50,000	4,05,000
2	273/ए	आवासीय	135	अनु० जनजाति	40,50,000	4,05,000
3	385/ए	आवासीय	90	सामान्य	27,00,000	2,70,000
4	26/बी	आवासीय	135	सामान्य	40,50,000	4,05,000
5	59/बी	आवासीय	135	अनु० जनजाति	44,65,125	4,46,512
6	249/बी	आवासीय	90	सामान्य	27,00,000	2,70,000
7	255/बी	आवासीय	141.24	सामान्य	46,60,920	4,66,092
8	एल-253/डी	आवासीय	60	अनु० जाति	18,00,000	1,80,000
9	एल-231/डी	आवासीय	82.08	सामान्य महिला	27,08,640	2,70,864
10	106/ए	आवासीय	135	सामान्य	44,55,000	4,45,500

नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- ऐसा कोई व्यक्ति जिसे किसी विकास प्राधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट श्रेणी के लिये आरक्षित सम्पत्ति का आवंटन किया जा चुका हो इन नियमों के अधिन उसी विकास प्राधिकरण में किसी अन्य आरक्षित सम्पत्ति या किसी अन्य श्रेणी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का पात्र नहीं होगा।
- सफल पंजीयनकर्ताओं को ऑन लाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- भूखण्ड पर भारित सम्पत्ति कर एवं पुनर्निर्धारण शुल्क (भू-राजस्व प्रीमियम राशि) पृथक से देय होगा।
- भूखण्ड पर भारित रहवासी समिति शुल्क तय अनुसार रजिस्ट्री पूर्व अंतिम किश्त में पृथक से देय होगा।
- जल प्रदाय स्ट्रीट लाईट एवं साफ-सफाई संचालन मद में 24 माह की राशि अग्रिम आधिपत्य के पूर्व पृथक से देय होगी।
- सम्पत्ति भू-स्वामी अधिकार पर विक्रय हेतु है।
- अन्य लागू टेक्स शासन नियमानुसार देय होगी।

8. आयकर अधिनियम 194/1ए अनुसार 50 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर 1 प्रतिशत आयकर (टीडीएस) की राशि ऑफर मूल्य पर कटौत कर आयकर कार्यालय में जमा कर फार्म 16-ए की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. ऑफर स्वीकृति राशि मूल्य का 90 प्रतिशत पंजीयन राशि के समायोजन सहित आवंटन आदेश जारी होने के 45 दिवस के अन्दर निर्धारित समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा।
10. शेष राशि प्राधिकरण द्वारा समय पर मांग पत्र अनुसार देय होगी।
11. ऑफर स्वीकृति अनुसार मांग पत्र जारी होने पर निर्धारित अवधि में राशि जमा न किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने की दशा में सम्पूर्ण पंजीयन राशि राजसात की जावेगी।
12. प्रचलित व्ययन नियम में वर्णित नियम एवं प्रावधान मान्य होंगे।
13. सभी भूखण्डों का क्षेत्रफल अनुमानित है।
14. भूखण्डों का विक्रय यथास्थिति में प्रस्तावित है। भूखण्डों का स्थल निरीक्षण कर ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
15. भूखण्ड की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी, तथा आवंटन आदेश में वर्णित शर्तें मान्य होगी।
16. शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं/आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा।
17. वेबसाइट पर घोषित विज्ञापित की शर्तें मान्य होगी।
18. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष भोविप्रा का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
19. आरक्षित श्रेणी के भूखण्ड हेतु सक्षम प्राधिकारी का जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तदुपरान्त ही ऑफर खोला जावेगा। अन्यथा आवेदन निरस्त कर जमा पंजीयन राशि राजसात कर ली जावेगी।


 राजस्व अधिकारी
 भोपाल विकास प्राधिकरण
 भोपाल

ज्ञानकारी हेतु सम्पर्क करें।

1-श्री रवि सिंह आई0टी0 (ऑनलाईन प्रक्रिया से संबंधित) मो0-8770234380

2-श्री एच0एस0 बेदी (सहायत्री) मिसबोद फेस-1 एवं फेस-2, से संबंधित मो0-9479600887